कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिला

क्रमांक/एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2026/767 भिलाई, दिनांक 23/07/2026

//आदेश//

श्री अशोक यादव, भृत्य को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 753 भिलाई दिनांक 21.07.2026 के द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 22.07.2026 संतोषप्रद नही है। कार्यालयीन अवधि में मुख्य कार्यालय परिसर के भीतर तहसील कार्यालय के सामने अपने पदीय कर्त्तव्यों के विपरीत ताश–पत्ती खेलते हुये पाये गये, जिससे निगम की छबि धूमिल हुई है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965, के नियम 3 के (1)(2)(3) के विरूद्ध आचरण है।

अतः उपरोक्त अनुशासनहीनता के लिए श्री अशोक यादव, भृत्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जोन क्रमांक 04 शिवाजी नगर रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2026/768 भिलाई, दिनांक 23/07/2026

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त I/II नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. कार्यपालन अभियंता भवन संधारण, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 04 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
12. **श्री अशोक यादव, भृत्य नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।**

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई